



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-406 राँची, मंगलवार,

10 अगस्त, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

03 अगस्त, 2021

कृपया पढ़ें :-

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का ज्ञापन संख्या-8360, दिनांक 18.09.2015

1/आ०-506/2013 का०- 3676--राँची, श्री सुनील कुमार, भा.प्र.से. (ज्ञा:1999), तत्कालीन उपायुक्त, बोकारो, सम्प्रति सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड के विरुद्ध विभागीय ज्ञापन संख्या-8360, दिनांक 18.09.2015 के द्वारा उपायुक्त, बोकारो के रूप में पदस्थापन अवधि में बरती गयी निम्न अनियमितता के लिए आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एवं मिसविहैवियर तथा साक्ष्यों की तालिका निर्गत करते हुए लिखित बचाव बयान की मांग की गयी-

1. 1984 सिख दंगे में क्षति के मुआवजे भुगतान से सम्बन्धित सरकारी निदेश पत्रांक-13018, दिनांक 16.01.2006 की कंडिका (iv), (v) एवं (vi) के प्रावधानों का उल्लंघन-प्रावधान के अनुसार पहले अनुग्रह राशि प्राप्त कर चुके व्यक्ति ही बढ़ी हुई अनुग्रह राशि के पात्र थे, लम्बित अथवा विवादित मामले पर आवश्यक सबूत/साक्ष्य के साथ तभी विचार किया जाना था जब वाजिब दावों को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया हो। क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के लिए दी गई राशि की 10 गुणा राशि की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाना था एवं इसमें पहले से दी

जा चुकी राशि कम की जानी थी। इन प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन कर दिनांक 29.03.2007 की बैठक में निर्णय लिया गया जिसके कारण अवैध भुगतान में सरकारी कोष रु0 71.30 लाख की क्षति हुई।

2. मुआवजे के अवैध भुगतान में सरकारी कोष को रु0 71.30 लाख की क्षति पहुँची जिसमें श्री कुमार की लापरवाही एवं चूक भी प्रथम दृष्टया स्थापित होती है। श्री सर्वजीत सिंह कलसी को रु0 16.30 लाख तथा श्री सरदुल सिंह कलसी को 55.00 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्णय श्री कुमार की अध्यक्षता में दिनांक 29.03.2007 की बैठक में लिया गया, जिसके आधार पर इसका भुगतान हुआ और सरकारी राशि की क्षति हुई। मुआवजा भुगतान समिति जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त, बोकारो के रूप में श्री कुमार के द्वारा की गई थी, के द्वारा निम्न तथ्यों को नहीं देखा गया कि -

(i) श्री सर्वजीत सिंह कलसी द्वारा इस समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के मनोनीत सदस्य के रूप में भाग लिया गया जबकि स्वयं उनका एवं उनके पुत्र के भुगतान का मामला समिति के समक्ष विचाराधीन था। ऐसी स्थिति में इन्हें इनके मामले में निर्णय प्रक्रिया से अलग रखा जाना चाहिए था। समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री कुमार की जिम्मेवारी थी कि श्री कलसी बैठक में नहीं रहे। बैठक की कार्यवाही से स्पष्ट है कि श्री कलसी अपने एवं अपने पुत्र के नाम अनियमित भुगतान की बड़ी राशि के निर्णय में भागीदार थे।

(ii) समिति द्वारा बालीडीह थाना कांड संख्या-112/84 में दर्ज प्राथमिकी में दंगा पीड़ित द्वारा धन एवं जन की दर्ज करायी गयी क्षति की समीक्षा नहीं की गई। इस प्राथमिकी में दंगा पीड़ित ने जो धन एवं जन की क्षति स्वयं दिखायी वह 2,29,000 रु0 से अधिक की नहीं थी।

(iii) श्री सरदुल सिंह कलसी एवं श्री सर्वजीत सिंह कलसी पिता-पुत्र एक ही प्राथमिकी से एक ही प्रतिष्ठान में क्षति के लिए मुआवजे का दावा कर रहे थे जिसकी समीक्षा समिति के द्वारा नहीं की गयी।

(iv) श्री सरदुल सिंह कलसी एवं श्री सर्वजीत सिंह कलसी जिन्हें क्रमशः 5.5 लाख एवं 1.63 लाख क्षति का आकलन डी.सी.एल.आर., चास के 1988 के प्रतिवेदन के आलोक में बताया गया, क्षति एक ही प्रतिष्ठान के लिए थी, इसे नहीं देखा गया। डी.सी.एल. आर., चास के प्रमाण पत्रों की जांच भी नहीं करायी गयी एवं क्रमशः 55 लाख एवं 16.30 लाख की अवैध भुगतान की अनुशंसा श्री कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ली गई।

(v) समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री कुमार को इस तथ्य की जांच करानी चाहिए थी कि इन्हें पूर्व में भुगतान किया गया है अथवा नहीं क्योंकि बाद में यह पाया गया कि बोकारो समाहरणालय के आदेश ज्ञापांक-1890 दिनांक 31.08.1993 द्वारा पूर्व में श्री सरदुल सिंह कलसी, पिता-स्व0 विसुन सिंह कलसी को 48000/- रु0 का भुगतान किया जा चुका था। प्रावधान के अनुसार 48000/- की दस गुणा राशि रु0 4,80,000/- मुआवजा भुगतान के रूप में राशि होती जिसमें से पूर्व में भुगतान की गई रु0 48000/- को सामंजित करते हुए रु0 4,32,000/- का दावा ही अनुमान्य होता।

उपर्युक्त गठित आरोपों के विरुद्ध श्री सुनील कुमार, भा.प्र.से. (झा:1999), तत्कालीन उपायुक्त, बोकारो के विरुद्ध गठित आरोप पत्र पर उनसे पत्रांक-23/MD Cell, दिनांक 03.08.2016 एवं पत्रांक-04/स0को0, दिनांक 23.08.2018 के द्वारा बचाव बयान एवं पुनर्विचार आवेदन प्राप्त हुआ।

विभागीय समीक्षा एवं श्री सुनील कुमार, भा.प्र.से. से प्राप्त बचाव बयान एवं पुनर्विचार आवेदन से स्पष्ट होता है कि 1984 सिक्ख दंगे क्षति के मुआवजे के भुगतान के मामले में तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, चास द्वारा गलत अभिलेख तैयार कर जिला स्तरीय समिति के समक्ष अनुशंसा की गयी।

तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, चास के द्वारा जिला स्तरीय समिति को गुमराह करते हुए गलत भुगतान करने के मामले में श्री जेवियर हेरेंज, तदेन अनुमण्डल पदाधिकारी, चास को दोषी पाते हुए विभागीय संकल्प संख्या-6297 दिनांक 05.08.2019 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया है।

जिला स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष उपायुक्त थे, के द्वारा तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा पर good faith में निर्णय लिये गये। सिक्ख दंगा पीड़ितों को मुआवजा भुगतान में अनुमण्डल पदाधिकारी, चास की स्पष्ट भूमिका थी एवं उनकी गलत अनुशंसा के आधार पर जिला स्तरीय समिति द्वारा गलत निर्णय हुआ जिसके लिए श्री सुनील कुमार, भा.प्र.से. प्रत्यक्ष रूप से दोषी नहीं हैं।

पूर्व में भी श्री सुनील कुमार, भा.प्र.से. (झा:1999), तत्कालीन उपायुक्त, बोकारो के स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेते हुए स्पष्टीकरण को स्वीकार किया गया था।

समीक्षोपरान्त वर्णित वस्तुस्थिति के आलोक में श्री सुनील कुमार, भा.प्र.से. (झा:1999), तत्कालीन उपायुक्त, बोकारो के विरुद्ध गठित आरोप पत्र ज्ञापन संख्या-8360, दिनांक 18.09.2015 पर उनसे प्राप्त बचाव बयान/स्पष्टीकरण को सरकार द्वारा स्वीकृत करते हुए आरोपों को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सुनील कुमार, भा.प्र.से. (झा:1999), सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र भूषण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।
